

दिनांक: 05.10.2017

राज्य सरकार क्षेत्र तथा राज्य स्वायत्त निकायों के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से निकासी
के संदर्भ में अधिकतर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

घोषणा: विस्तृत प्रावधानों तथा विनियमों के लिए, कृपया पीएफआरडीए (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के निकासी तथा प्रत्याहरण) विनियमों 2015 तथा उसके अंतर्गत आने वाले अनुवर्ती संशोधनों को देखें। ये सभी पीएफआरडीए की वेबसाइट www.pfrda.org.in पर भी उपलब्ध हैं।

प्रश्न	उत्तर
1. निर्गमन/प्रत्याहरण क्या है ?	राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत निर्गमन को अभिदाता के व्यक्तिगत पेंशन खाते के बंद होने के रूप में परिभाषित किया गया है।
2. मैं एनपीएस से कब निर्गमन कर सकता हूँ/सकती हूँ?	अभिदाता एनपीएस से किसी भी समय निर्गमन कर सकता है किंतु संपूर्ण प्रत्याहरण कुछ शर्तों के अधीन होगा।
3. क्या निर्धारित समय से पूर्व निर्गमन तथा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति समान है या नहीं ?	हाँ, एनपीएस के तहत दोनों समान हैं। एनपीएस के अंतर्गत निर्धारित समय से पूर्व निर्गमन को अधिवर्षिता/सेवानिवृत्ति आयु से पूर्व निकासी के रूप में परिभाषित किया गया है। एनपीएस के अंतर्गत स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति को समय से पूर्व निर्गमन माना जाता है। जबकि, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए योग्यता तथा शर्त संबंधित संरथा के सेवा नियमों तथा विनियमों द्वारा परिभाषित/शासित होती है।
4. यदि मैं एनपीएस से निर्धारित समय से पूर्व निर्गमन करता हूँ तो मुझे क्या लाभ प्राप्त होंगे ?	समय से पूर्व निर्गमन या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति न्यूनतम वार्षिकीकरण— संचित कोष का 80% अधिकतम एकमुश्त प्रत्याहरण— संचित कोष का 20% यदि अभिदाता की संचित पेंशन कोष एक लाख रुपए या इससे



	<p>कम है या उस सीमा से जो प्राधिकरण द्वारा निर्धारित हो, ऐसे अभिदाता के पास बिना वार्षिकी की खरीद के पूर्ण संचित पेंशन कोष के प्रत्याहरण का विकल्प होगा।</p>
5. यदि मैं एनपीएस से सेवानिवृत्ति/अधिवर्षिता लेता हूँ तो मुझे क्या लाभ प्राप्त होंगे?	<p>सेवानिवृत्ति/अधिवर्षिता— न्यूनतम वार्षिकीकरण— संचित कोष का 40% अधिकतम एकमुश्त प्रत्याहरण— संचित कोष का 60%</p> <p>अभिदाता चाहे तो 40 प्रतिशत से अधिक की राशि की वार्षिकी की खरीद का विकल्प चुन सकता है।</p> <p>यदि अभिदाता की संचित पेंशन कोष यदि दो लाख रुपए या इससे कम है या उस सीमा से जो प्राधिकरण द्वारा निर्धारित हो, ऐसे अभिदाता के पास बिना किसी वार्षिकी की खरीद के पूर्ण संचित पेंशन कोष के प्रत्याहरण का विकल्प होगा।</p>
6. सेवा के दौरान एनपीएस अभिदाता की असमयिक मृत्यु की स्थिति में मामलों के निपटान के लिए क्या प्रावधान हैं ?	<p>वर्तमान में, कुछ राज्य सरकारें कर्मचारियों को पारिवारिक पेंशन प्रदान कर कर रहीं हैं जबकि कुछ राज्य सरकारें ऐसा नहीं कर रहीं। प्रत्येक मामले को ध्यान में रखते हुए, तदनुसार ही अभिदाता को मार्गदर्शित किया जाएगा।</p> <p>यदि परिवारजन पारिवारिक पेंशन का विकल्प चुनते हैं, तो विनियमों के अनुसार संपूर्ण संचित कोष आगे की कार्रवाई हेतु, जैसा कि सरकारी निर्देशों में निर्दिष्ट हो नोडल कार्यालय के बैंक खाते में स्थानांतरित हो जाएगा।</p> <p>परंतु, जहाँ पारिवारिक पेंशन के प्रावधान उपलब्ध नहीं हैं, निम्नलिखित निर्गमन विनियम लागू होंगे) :</p> <p>न्यूनतम वार्षिकीकरण— संचित कोष का 80% अधिकतम एकमुश्त प्रत्याहरण— संचित कोष का 20%</p> <p>अभिदाता का संचित पेंशन कोष यदि दो लाख रुपए या इससे कम हो या उस सीमा में जो प्राधिकरण द्वारा निर्धारित हो, ऐसे नामित व्यक्तियों/कानूनी वारिसों के पास बिना किसी वार्षिकी की खरीद के पूर्ण संचित पेंशन कोष के प्रत्याहरण का विकल्प होगा।</p>
7. सेवा के दौरान, एनपीएस अभिदाता की असमयिक मृत्यु की स्थिति में जब खाते में किसी को नामांकित न किया गया हो तो ऐसे मामलों के निपटान के लिए क्या प्रावधान	<p>जब कोई वैध नामांकन इन विनियमों के अनुसार न किया गया हो, ऐसे अभिदाता के मृत्यु के उपरांत हुए निर्गमन के समय, ऐसे अभिदाता का उसके नियोक्ता के रिकार्ड में नामांकन, यदि कोई है, जो कि अन्य सेवांत लाभों को प्राप्त करने के लिए नामांकित है तो यह नामांकन राष्ट्रीय पेंशन योजना के तहत लाभ ग्रहण करने के उद्देश्यों के लिए नामांकन के रूप में</p>

हैं ?	माना जाएगा। नियोक्ता राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास या केंद्रीय रिकार्डकीपिंग ऐजेंसी को दावे के प्रसंस्करण के लिए अपने रिकार्ड में दर्ज ऐसे नामांकन का पुष्टिकरण भेजेगा।
8. क्या मैं प्रणाली से निर्धारित समय से पूर्व निर्गमन की स्थिति में अपनी एकमुश्त राशि को टाल सकता हूँ ?	नहीं।
9. क्या मैं सेवानिवृत्ति/अधिवर्षिता की स्थिति में अपनी एकमुश्त राशि को आस्थगित रख सकता हूँ ? यदि हाँ, तो इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए क्या प्रावधान या आवश्यकताएं हैं ?	हाँ, एकमुश्त राशि को 70 वर्ष की आयु तक आस्थगित रखा जा सकता है जिसे अधिवर्षिता और 70 वर्ष की आयु के बीच किसी भी समय या 70 वर्ष की आयु तक प्रत्येक वर्ष निकाला जा सकता है। अभिदाता को निर्दिष्ट फॉर्म में अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने से कम से कम 15 दिन पूर्व लिखित में (नियोक्ता को सूचना) देना होगा तथा यह सीआरए प्रणाली में संबंधित नोडल कार्यालय द्वारा प्राधिकृत भी होना चाहिए। यदि अभिदाता के द्वारा आस्थगन का विकल्प प्रयोग में लाया जाता है तो अभिदाता को सीआरए, पीएफएम आदि रखरखाव प्रभारों का भुगतान करना होगा।
10. क्या मैं सेवानिवृत्ति/अधिवर्षिता के समय अपनी वार्षिकी को आस्थगित रख सकता हूँ ? यदि हाँ, तो इसके लिए क्या प्रावधान हैं ?	हाँ, वार्षिकी खरीद को भी अधिकतम तीन वर्षों के लिए आस्थगित रखा जा सकता है। अभिदाता को अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने से कम से कम 15 दिन पूर्व लिखित में (नियोक्ता को सूचना) देना होगा तथा यह सीआरए प्रणाली में संबंधित नोडल कार्यालय द्वारा प्राधिकृत भी होना चाहिए। आस्थगन के बाद परंतु वार्षिकी खरीद की तिथि से पूर्व यदि अभिदाता की मृत्यु हो जाती है तो वार्षिकी को जीवनसाथी को अनिवार्य रूप से खरीदना होगा।
11. क्या मैं सेवानिवृत्ति/अधिवर्षिता के समय अपनी एकमुश्त राशि तथा वार्षिकी दोनों को आस्थगित रख सकता हूँ / सकती हूँ ?	हाँ।
12. क्या मैं सेवानिवृत्ति/अधिवर्षिता के पश्चात् भी अपने टीयर-1 खाते में अंशदान कर सकता हूँ / सकती हूँ ?	हाँ। अभिदाता के पास लिखित में देते हुए ऐसा करने तथा जिस भी आयु तक वह अपने व्यक्तिगत पेंशन खाते में अंशदान करना चाहता है का विकल्प है लेकिन वह 70 वर्ष की आयु से अधिक नहीं होनी चाहिए। इस परिदृश्य में, अभिदाता को अपना स्थायी खाता संख्या (PRAN) किसी भी उपस्थिति अस्तित्व या ई-एनपीएस में

	<p>स्थानांतरित करना होगा। केंद्रक कार्यालय सेवानिवृत्ति की तिथि के पश्चात् अंशदान की अपलोडिंग में सहयोग नहीं देगा। अभिदाता को केवल अपनी व्यक्तिगत रूप में खाता परिचालित करना होगा।</p> <p>ऐसे विकल्प 60 वर्ष की आयु या अधिवर्षिता प्राप्त करने से कम से कम 15 दिन पूर्व प्रयोग होने चाहिए, जैसा भी मामला हो, तथा सीआरए प्रणाली में आने वाले संबंधित केंद्रक कार्यालय द्वारा प्राधिकृत भी होना चाहिए।</p> <p>अभिदाता को उपस्थिति अस्तित्व, सीआरए, पीएफएम आदि रखरखाव प्रभारों का भुगतान करना होगा।</p>
13. यदि मैं अपना टीयर—। खाता सेवानिवृत्ति/अधिवर्षिता के पश्चात् भी जारी रखता हूँ तो क्या मैं बढ़ाई गई अवधि के दौरान एकमुश्त राशि तथा वार्षिकी के आस्थगन की सुविधा का लाभ उठा सकता हूँ / सकती हूँ?	नहीं, सेवानिवृत्ति/अधिवर्षिता के पश्चात् खाता जारी रखने के विकल्प के प्रयोग करने पर, अन्य लाभों (एकमुश्त राशि तथा वार्षिकी) के आस्थगन, ऐसे अभिदाताओं के लिए उपलब्ध नहीं होंगे।
14. क्या मैं 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पूर्व किसी भी समय अपनी बढ़ाई हुई अवधि समाप्त कर सकता हूँ या मुझे टीयर—। खाता 70 वर्ष की अवधि तक जारी रखना होगा ?	इस विकल्प का प्रयोग करने के बाद भी, अभिदाता निर्धारित प्रत्याहरण अनुरोध को जमा कर राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से किसी भी समय निर्गमन कर सकता है।
15. यदि मैं सेवानिवृत्ति/अधिवर्षिता के पश्चात् टीयर—। खाते को जारी रखने की सुविधा का लाभ उठाता हूँ तो लेनदेन तथा अन्य प्रभारों का भुगतान कौन करेगा ?	अभिदाता को सभी लागू प्रभारों रखरखाव प्रभारों जैसे उपस्थिति अस्तित्व, सीआरए, पेंशन निधि प्रबंधक आदि, का भुगतान करना होगा।
16. क्या मैं अपने टीयर—। खाते को बंद करने के पश्चात् टीयर—॥ खाते को जारी रख सकता हूँ ?	नहीं टीयर—। खाते को बंद करने के पश्चात् टीयर—॥ खाता अपने आप ही बंद हो जाएगा।
17. क्या मैं अपने टीयर—॥ खाते को जारी रख सकता हूँ यदि मैं	हाँ अभिदाता टीयर—॥ खाते के लिए तब तक अंशदान दे सकता है जब तक कि उसका एक सक्रिय टीयर—। खाता हो।

सेवानिवृत्ति / अधिवर्षिता के बाद भी टीयर – I खाते को जारी रखने का निर्णय लेता हूँ ?	
18. वार्षिकी क्या है ?	वार्षिकी एक ऐसा उत्पाद है जो कि नियमित आय प्रदान करता है। यह आस्थगित भुगतान के लिए अनुबंध है। वार्षिकी का मुख्य लक्ष्य सेवानिवृत्ति / कार्यशील आयु के पश्चात् भी नियमित आय प्रदान करना है।
19. निर्धारित समय से पूर्व निर्गमन की स्थिति में, मेरी वार्षिकी कब आरंभ होगी अर्थात् उसी समय या 60 वर्ष की आयु के पश्चात्?	वार्षिकी किसी भी सूचीबद्ध वार्षिकी सेवा प्रदाता से किसी भी वार्षिकी (वार्षिकी सेवा प्रदाता तथा वार्षिकी योजना के चयन पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए 30, 35 या 38) की खरीद की न्यूनतम आयु के पश्चात् तत्काल आरंभ हो जाती है। अभिदाता को 60 वर्ष की आयु तक इंतज़ार करने की आवश्यकता नहीं है।
20. एनपीएस के अंतर्गत मुझे कौन से वार्षिकी विकल्प प्राप्त होंगे ?	<p>निम्नलिखित समान्य विकल्प उपलब्ध हैं :</p> <p>क) डिफाल्ट योजना : अभिदाता तथा उसके पति या पत्नी (यदि हों तो) के जीवनभर के लिए वार्षिकी जिसमें वार्षिकी के खरीद मूल्य की वापसी का प्रावधान है:- ऐसे अभिदाता की मृत्यु के पश्चात्, वार्षिकी परिवार के सदस्य को नीचे दिए गए क्रम में पुनः प्रदान की जाएगी:</p> <ul style="list-style-type: none"> • जीवित आश्रित माता • जीवित आश्रित पिता <p>ऊपर निर्दिष्ट सभी परिवारजनों के न रहने के पश्चात्, खरीद मूल्य अभिदाता के बच्चों को, और बच्चों की अनुपस्थिति में, अभिदाता के कानूनी वारिसों को वापस कर दिया जाएगा, जैसा भी लागू होगा।</p> <p>यदि अभिदाता डिफाल्ट वार्षिकी योजना नहीं खरीदना चाहता, वो निम्नलिखित योजनाओं में से किसी का भी चुनाव कर सकता है:</p> <p>ख) जीवनभर के लिए वार्षिकी, मृत्यु होने पर खरीद मूल्य (वार्षिकी सेवा प्रदाता को दिया गया मूल्य) की वापसी के साथ – कर्मचारी को तब तक वार्षिकी मिलेगी जब तक कि वह जीवित रहेगा तथा उसकी मृत्यु के पश्चात् वार्षिकी का भुगतान समाप्त कर दिया जाएगा और नामित व्यक्ति को वार्षिकी खरीद मूल्य वापस कर दिया जाएगा।</p>

ग) 5, 10, 15 या 20 वर्षों के लिए आश्वासित वार्षिकी तथा उसके बाद जीवनभर के लिए

- आश्वासित समय के दौरान मृत्यु होने पर

कर्मचारी को वार्षिकी मिलेगी तथा आश्वासित समय के दौरान उसकी मृत्यु होने पर आश्वासित समय की समाप्ति तक वार्षिकी नामित व्यक्ति को प्रदान की जाएगी। उसके बाद वार्षिकी का भुगतान समाप्त हो जाएगा तथा नामित व्यक्ति को वार्षिकी खरीद मूल्य वापस नहीं किया जाएगा।

- आश्वासित समय के पश्चात् मृत्यु होने पर

आश्वासित समय के पश्चात् भी कर्मचारी को वार्षिकी का भुगतान जब तक वह जीवित है, तब तक ही किया जाएगा। आश्वासित समय के पश्चात् भी मृत्यु होने पर वार्षिकी का भुगतान समाप्त कर दिया जाएगा तथा नामित व्यक्ति को वार्षिकी खरीद मूल्य की वापसी नहीं की जाएगी।

घ) जीवनभर के लिए वार्षिकी— कर्मचारी को वार्षिकी का भुगतान, जब तक वह जीवित है, तब तक ही किया जाएगा तथा मृत्यु होने पर वार्षिकी का भुगतान समाप्त कर दिया जाएगा तथा नामित व्यक्ति को वार्षिकी खरीद मूल्य की वापसी नहीं की जाएगी।

ड) जीवनभर के लिए वार्षिकी 3% सामान्य दर से प्रति वर्ष बढ़ाते हुए — कर्मचारी को वार्षिकी का भुगतान, जब तक वह जीवित है, तब तक ही किया जाएगा तथा मृत्यु होने पर वार्षिकी का भुगतान समाप्त कर दिया जाएगा तथा नामित व्यक्ति को वार्षिकी खरीद मूल्य की वापसी नहीं की जाएगी।

च) वार्षिकीकर्ता की मृत्यु होने पर वार्षिकीकर्ता के जीवनसाथी के लिए वार्षिकी का 50% वार्षिकी के प्रावधान के साथ जीवनभर के लिए वार्षिकी— अभिदाता की मृत्यु के पश्चात् वार्षिकी के भुगतान को समाप्त कर दिया जाएगा तथा वार्षिकी की 50% राशि उसके जीवित नामित जीवनसाथी को जीवनभर दी जाएगी। यदि वार्षिकीकर्ता की मृत्यु से पूर्व उसके जीवनसाथी की मृत्यु हो जाती है तो वार्षिकीकर्ता की मृत्यु के पश्चात् वार्षिकी का भुगतान समाप्त हो जाएगा। यह वार्षिकी खरीद मूल्य की वापसी के साथ और उसके बिना के विकल्प के रूप में भी उपलब्ध हो सकती है।

छ) वार्षिकीकर्ता की मृत्यु होने पर वार्षिकीकर्ता के जीवनसाथी

1
6/10

	<p>के लिए वार्षिकी का 100% के प्रावधान के साथ जीवनभर के लिए वार्षिकी— वार्षिकीकर्ता की मृत्यु के पश्चात् वार्षिकी का भुगतान समाप्त हो जाएगा तथा संपूर्ण वार्षिकी जीवित नामित जीवनसाथी को उसके जीवनकाल के दौरान प्रदान की जाएगी। यदि वार्षिकीकर्ता की मृत्यु से पूर्व उसके जीवनसाथी की मृत्यु हो जाती है तो वार्षिकीकर्ता की मृत्यु के पश्चात् वार्षिकी का भुगतान समाप्त हो जाएगा। यह वार्षिकी खरीद मूल्य की वापसी के साथ और उसके बिना के विकल्प के रूप में भी उपलब्ध हो सकती है।</p> <p>अभिदाता जीवनसाथी को ऊपर दिए गए घटकों (डिफाल्ट घटक को छोड़कर) में से किसी में भी जोड़ सकता है।</p> <p>सभी वार्षिकी सेवा प्रदाता सभी घटकों को प्रदान नहीं करते। यह एक वार्षिकी सेवा प्रदाता से दूसरे वार्षिकी सेवा प्रदाता में भिन्न हो सकता है।</p> <p>वार्षिकी मूल्य भी एक वार्षिकी सेवा प्रदाता की तुलना में दूसरे वार्षिकी सेवा प्रदाताओं में भिन्न हो सकता है।</p>
21. क्या मुझे निर्धारित वार्षिकी के साथ जाना होगा अथवा मेरे पास अन्य वार्षिकी प्रकार को भी चुनने का विकल्प है ?	अभिदाता सूचीबद्ध वार्षिकी सेवा प्रदाताओं के पास उपलब्ध वार्षिकियों में से डिफाल्ट वार्षिकी के अतिरिक्त कोई भी अन्य वार्षिकी का चयन भी कर सकता है।
22. वार्षिकी सेवा प्रदाताओं द्वारा विभिन्न वार्षिकियों पर मिलने वाले लाभों/मूल्यों के बारे में कहाँ से जानकारी ले सकता हूँ ?	वार्षिकी मूल्यों तथा अन्य विवरणों को केंद्रीय रिकार्ड्कीपिंग ऐजेंसी की वेबसाइट (लिंक नीचे दिया गया है) पर देखी जा सकती है। https://www.npscra.nsdl.co.in/annuity-service-providers.php
23. क्या मैं अपने वार्षिकी सेवा प्रदाता या वार्षिकी प्रकार को किसी भी समय बदल सकता हूँ ?	एक बार वार्षिकी की खरीदी के पश्चात् वार्षिकी सेवा प्रदाता या किसी अन्य वार्षिकी योजना के निरसन या पुनर्निवेश का विकल्प स्वीकार्य नहीं होगा, जबतक कि यह वार्षिकी सेवा प्रदाता द्वारा निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर स्वच्छंद निरीक्षण अवधि के अंतर्गत न हो जो कि वार्षिकी अनुबंध की शर्तों में दी गयी हैं या विशेष रूप से निवेश विनियामक तथा विकास प्राधिकरण द्वारा दिया गया है।
24. वार्षिकी सेवा प्रदाताओं द्वारा क्या कार्य किए जाते हैं ?	वार्षिकी सेवा प्रदाता अभिदाताओं को विभिन्न योजनाओं द्वारा वार्षिकी प्रदान करने के लिए पीएफआरडीए द्वारा सूचीबद्ध किए जाते हैं। अभिदाताओं के पास अपनी राशि को सेवानिवृत्ति/त्यागपत्र देने पर एक वार्षिकी योजना में निवेश करने का विकल्प होगा। अभिदाता को उसके शेष जीवन हेतु

म/10

	नियमित मासिक पेंशन (वार्षिकी) प्रदान करने की जिम्मेदारी वार्षिकी सेवा प्रदाता की होगी।
25. क्या निर्गमन के समय एनपीएस के तहत वार्षिकी की खरीद अनिवार्य होगी?	हाँ, लेकिन कुछ परिदृश्य ऐसे हैं जिसमें अभिदाता / नामांकित व्यक्ति / कानूनी वारिस संपूर्ण संचित कोष का वापस निकास सकते हैं।
26. पीएफआरडीए के अधीन कौन सी कंपनियां वार्षिकी सेवा प्रदाताओं के रूप में सूचीबद्ध की गई हैं ?	1. भारतीय जीवन बीमा निगम * 2. एसबीआई लाइफ इंशयोरेंस कंपनी लिमिटेड * 3. आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंशयोरेंस कंपनी लिमिटेड * 4. एचडीएफसी स्टेंडर्ड लाइफ इंशयोरेंस कंपनी लिमिटेड * 5. स्टार यूनियन दाई-ची लाइफ इंशयोरेंस कंपनी लिमिटेड *
	*समय-समय पर परिवर्तन के अधीन
27. क्या मुझे वार्षिकी खरीद पर निवेश की गई राशि वापस मिलेगी ?	केवल उन वार्षिकी प्रकारों में जहाँ वार्षिकी खरीद मूल्य की वापसी का प्रावधान है।
28. सेवानिवृत्ति / अधिवर्षिता की स्थिति में, मैं अपना प्रत्याहरण अनुरोध कब कर सकता हूँ अर्थात् सेवानिवृत्ति की आयु के पश्चात् या सेवानिवृत्ति की तिथि से पूर्व ?	केंद्रीय रिकार्डकीपिंग एजेंसी नेटवर्क अधिवर्षिता / सेवानिवृत्ति तिथि से 6 माह पूर्व अभिदाता तथा केंद्रक कार्यालय को एक ब्लेस आईडी उत्पन्न करने के साथ इसकी सूचना संप्रेषित करता है। यह सलाह दी जाती है कि अभिदाता अधिवर्षिता / सेवानिवृत्ति की तिथि से कम से कम 1 माह पूर्व केंद्रक कार्यालय में अपने सभी दस्तावेज जमा कराए।
29. क्या मैं सेवानिवृत्ति / अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने से पूर्व निकासी कर सकता हूँ ?	हाँ, इसे आंशिक निकासी कहा जाता है। https://npscra.nsdl.co.in/central-foms.php
30. यदि हाँ, कितनी राशि निकाली जा सकती है?	निकासी के आवेदन की तिथि तक अभिदाता द्वारा किए गए 25% तक के अंशदान की राशि (राशि पर बिना किसी प्रोत्साहन / रिटर्न समिलित किए हुए) निकाली जा सकती है।
31. सेवा के दौरान क्या मैं कितनी भी बार निकासी कर सकता हूँ ?	नहीं, संपूर्ण सेवाकाल के दौरान अभिदाता को केवल तीन बार निकासी की अनुमति होगी।
32. किन परिस्थितियों में आंशिक निकासी की जा सकती है ?	परिस्थितियाँ: 1. न्यूनतम 3 वर्षों से एनपीएस अभिदाता हो। 2. प्रत्याहरण केवल कुछ विशिष्ट कारण होने पर ही किया जा सकता है क) बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए ख) बच्चों के विवाह के लिए

	<p>ग) अपने नाम पर या अपने कानूनी रूप से विवाहित साथी के साथ संयुक्त तौर परिवारिक घर या फ्लैट की खरीद/निर्माण के लिए। यदि किसी मामले में जब अभिदाता के पास पहले से ही व्यक्तिगत रूप से या संयुक्त नाम से घर या फ्लैट हो, पैतृक संपत्ति के अतिरिक्त, इन विनियमों के भीतर कोई प्रत्याहरण स्वीकार्य नहीं होगा।</p> <p>घ) निर्दिष्ट बीमारियों के इलाज के लिए जिससे कि अभिदाता, उसका कानूनी रूप से विवाहित साथी, बच्चे जिनमें कानूनी रूप से गोद लिया बच्चा तथा आश्रित अभिभावक सम्मिलित हैं। निर्धारित बीमारियों में सम्मिलित हैं:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) कैंसर (ii) किडनी खराब होना (एंड स्टेज रीनल फेलियर) (iii) प्राईमरी पलमनरी आर्टिरियल हाइपरटेंशन (iv) मल्टीपल स्कलेरोसिस (v) मेजर ऑर्गन ट्रांसप्लांट (vi) कोरोनरी आट्री बाईपास ग्राफ्ट (vii) अरोटा ग्राफ्ट सर्जरी (viii) हर्ट वाल्व सर्जरी (ix) स्ट्रोक (x) मायोकाड्रियल इनफ्रैक्शन (xi) कोमा (xii) पूर्णतः अंधता (xiii) पैरालिसेस (लकवा) (xiv) गंभीर/प्राणघातक प्रवृत्ति की दुर्घटना (xv) अन्य कोई प्राणघातक प्रवृत्ति की संकटयुक्त बीमारी जैसा कि परिपत्र, दिशानिर्देश या अधिसूचनाएं जो पीएफआरडीए द्वारा जारी की गई हैं उनमें अनुबंधित हो।
33. यदि मैं आंशिक निकासी का लाभ उठाता हूँ तो क्या मुझे अधिवर्षिता/सेवानिवृत्ति के समय समान लाभ प्राप्त होंगे ?	हाँ
34. क्या मैं उपदान के लिए योग्य हूँ ?	वर्तमान में, कुछ राज्य सरकारें कर्मचारियों को उपदान लाभ उपलब्ध करा रही है जबकि कुछ सरकारें नहीं करा रही। प्रत्येक मामले को ध्यान में रखते हुए, तदनुसार ही अभिदाता को मार्गदर्शित किया जाएगा।
35. आयकर अधिनियम, 1961 के तहत टीयर-। खाते के लिए कौन से कर लाभ होंगे ?	<p>(क) अंशदानों पर:</p> <p>कर्मचारी का अपना अंशदान— आयकर अधिनियम की धारा 80CCD (1) के तहत आय (बेसिक+मंहगाई भत्ता) का 10% तक</p>

	<p>कर छूट के लिए योग्य होगा, जो की आयकर अधिनियम की धारा 80 C के रु.1.50,000 की अधिकतम सीमा के भीतर। वित्तीय वर्ष 2015–16 से, अभिदाता को अपने एनपीएस खाते में अंशदान के लिए धारा 80CCD (1) के तहत स्वीकार्य छूट के अतिरिक्त कर छूट प्राप्त होगी जो कि धारा 80CCD 1(B) के तहत रुपये रु.50,000/- की सीमा के अधीन होगी।</p> <p>नियोक्ता का अंशदान : धारा 80CCD (2) के तहत बेसिक तथा महंगाई भत्ते (बिना किसी ऊपरी मौद्रिक सीमा के) का 10% तक। यह छूट धारा 80 C के अतिरिक्त होगी। (यह कर लाभ केवल एनपीएस अभिदाताओं के लिए उपलब्ध होगा)</p> <p>(ख) आंशिक निकासी – कर मुक्त (ग) एकमुश्त प्रत्याहरण— अधिवर्षिता की स्थिति में 40 % एकमुश्त प्रत्याहरण कर मुक्त होगा (घ) वार्षिकी— अभिदाता के लिए वार्षिकी की खरीद पर उपयोग की गई राशि पर कर नहीं लगेगा।</p>								
36. आयकर अधिनियम, 1961 के तहत टीयर-II। खाते के लिए कौन से कर लाभ प्राप्त है ?	टीयर-II। खाते के लिए कोई लाभ उपलब्ध नहीं है।								
37. निर्गमन तथा प्रत्याहरण से संबंधित प्रमुख फॉर्म की सूची मुझे कहाँ प्राप्त होगी ?	<table border="1"> <thead> <tr> <th>विवरण</th> <th>फॉर्म संख्या</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>क) अधिवर्षिता</td> <td>101</td> </tr> <tr> <td>ख) अपरिपक्व निकासी</td> <td>102</td> </tr> <tr> <td>ग) मृत्यु</td> <td>103</td> </tr> </tbody> </table>	विवरण	फॉर्म संख्या	क) अधिवर्षिता	101	ख) अपरिपक्व निकासी	102	ग) मृत्यु	103
विवरण	फॉर्म संख्या								
क) अधिवर्षिता	101								
ख) अपरिपक्व निकासी	102								
ग) मृत्यु	103								

पीएफआरडीए के लिए

वैंकटेश्वरलू पेरी

(वैंकटेश्वरलू पेरी)
 मुख्य महाप्रबंधक